राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 40 / 2024

अपीलांट–

1. उमाराम पुत्र श्री चैनाराम जाति प्रजापत निवासी नया दूदवा, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री मेघाराम पुत्र हीराराम
2 श्रीमति इमियों पत्नी हीराराम
3 श्री देवाराम पुत्र हीराराम
4 श्रीमति इमरती पत्नी मुकेश
5 मनीष कुमार पुत्र मुकेश नाबालिग जरिये कुदरती वली माता इमरती पत्नी मुकेश
6 श्री मोहनलाल पुत्र श्री चुतराराम
7 श्री भैराराम पुत्र चुतराराम
8 श्री वनाराम पुत्र श्री चैनाराम
9 श्री लच्छाराम पुत्र चेनाराम जातियान प्रजापत निवासीयान नया दूदवा, तहसील पचपदरा।
10 सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दुदवा
11 हल्का पटवारी, पटवार हल्का दूदवा, तहसील पचपदरा
12 तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2010/180 दिनांक 24.12.2010 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमसिंह सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री चम्पालाल प्रजापत व सावलराम मेघवाल, अधिवक्ता रेस्पोन्डेंटगण संख्या 1 ता 6 व 8, 9 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 7 वावजुद सूचना अनुपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 03.12.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2010/180 दिनांक 24.12.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नया दूदवा, पटवार हल्का दूदवा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 388/208 रकबा 71.03 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.12.2010 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2010/180 दिनांक 24.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 व 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा सही विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करने के कारण अपीलांट व अन्य रेस्पोंडेंट संख्या 6 ता 9 सभी की रहवासीय ढाणियां रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के खसरा नंबर 486/208 रख दी। जिससे वर्तमान में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 की ढाणियां रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के खातेदारी में दर्ज होने से वर्तमान में सभी के लिये भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। वक्त विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी को मौके पर रहवासीय ढाणियां व कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करते हुए बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया गया था, मगर हल्का पटवारी ने विभाजन प्रस्ताव को नक्शा

जिला कलक्टर
बालोतरा

ने विभाजन कब्जे अनुसार व रहवासीय ढाणियां अनुसार नहीं है, इस प्रकार उक्त विभाजन मौके व कब्जे काश्त अनुसार नहीं होने के कारण उक्त आलोच्य विभाजन आदेश खारिज योग्य है।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भूमि नया दूदवा, पटवार हल्का दूदवा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 388/208 रकबा 71.03 बीघा में अवस्थित है। जो संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त खसरान संख्या में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के हिस्से में विभाजित आई भूमि में सभी पक्षकारान की रहवासीय ढाणियां व मकान बने हुए है। उक्त रवासीय ढाणियों को उनके विभाजन प्रस्ताव में उनके हिस्से में रहवासीय ढाणीं लेते हुए विभाजन करना था मगर हल्का पटवार ने अपीलांट व अन्य रेस्पोंडेंट संख्या 6 ता 9 सभी की रहवासीय ढाणियां रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के खसरा नंबर 486/208 रख दी, जिससे वर्तमान में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 की ढाणियां रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के खातेदारी में दर्ज होने से वर्तमान में सभी के लिये भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। वक्त विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी को मौके पर रहवासीय ढाणियां व कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करते हुए बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया गया था, मगर हल्का पटवारी ने विभाजन प्रस्ताव को नक्शा में विभाजन कब्जे अनुसार व रहवासीय ढाणियां अनुसार नहीं किया गया है। हल्का पटवारी ने आनन फानन में खसरा नंबर 388/208 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 की रहवासीय ढाणियां की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के हिस्से में गलत तरह से दर्शाकर रंग भर दिये। उक्त विभाजन मौके व कब्जे काश्त अनुसार नहीं होने के कारण उक्त आलोच्य विभाजन आदेश खारिज योग्य है।

6. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त आलोच्य गलत बंटवाड़ा अस्तित्व में रहने से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 ने लाखों रूपये लगाकर अपनी ढाणियों बना रखी है, जिससे अपीलांट को अत्यधिक अपूर्णनीय क्षति होगी। हाल ही में उक्त गलत बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये, जिसका ज्ञान दिनांक 31.07.2024 को हुआ। उक्त खसरान आलोच्य भूमि पर हुए गलत विभाजन होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2010/180 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की सहमत है।

7. रेस्पोडेंटगण संख्या 01 ता 06 व 8, 9 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि नया दूदवा,

जिला कलक्टर
बालोतरा

पटवार हल्का दूदवा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 388 / 208 रकबा 71.03 बीघा में अवस्थित है। जो संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त खसरान संख्या में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के हिस्से में विभाजित आई भूमि में सभी पक्षकारान की रहवासीय ढाणियां व मकान बने हुए है। उक्त विवादित भूमि पर गलत विभाजन होने पर पक्षकारान के मध्य मौके पर विवाद उत्पन हो गया है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक / राजस्व / 2010 / 180 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु समस्त रेस्पोडेंटगण सहमत है।

8. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा नया दूदवा, पटवार हल्का दूदवा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 388 / 208 रकबा 71.03 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.12.2010 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक / राजस्व / 2010 / 180 दिनांक 24.12.2010 पारित किया गया। चूंकि समस्त पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश

जिला कलक्टर
बालोतरा

क्रमांक / राजस्व / 2010 / 180 दिनांक 24.12.2010 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

10. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा